

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जून 2020—आषाढ़ 5, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 मई 2020

क्रमांक एफ 5-8/2018/1 (एक).—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविन्द सिंह चंदेल, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 17 फरवरी, 2020 से 20 फरवरी, 2020 (04 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पूर्व दिनांक 15-02-2020 तथा 16-02-2020 तथा अवकाश पश्चात् दिनांक 21-02-2020 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 मई 2019

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2020 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-09-57/गृह-सी/परीक्षा/2020.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा दिनांक 24 अगस्त, 2020 से दिनांक 29 अगस्त, 2020, तक रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 24-08-2020

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1. पहला प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.		प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
2. पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित).		
3. विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).		
4. विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).		
5. पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.		
59. विद्युत संबंधी विधियाँ-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)		
सोमवार, दिनांक 24-08-2020		
6. दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.		दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
7. दूसरा प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.		
8. प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.		
60. भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).		

मंगलवार, दिनांक 25-08-2020

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-“ए” आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-“बी”.	
11.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-“सी”.	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम, उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
मंगलवार, दिनांक 25-08-2020		
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्य के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

बुधवार, दिनांक 26-08-2020

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	प्रश्न पत्र-“व्यावहारिक शाखा” पुलिस अधिकारियों के लिए.	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
बुधवार, दिनांक 26-08-2020		
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की “पुलिस शाखा” प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के).	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) के पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा एवं भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्यवय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया उर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि.सु) के लिये (बिना पुस्तकों के).	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

गुरुवार, दिनांक 27-08-2020

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
34.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित), नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
गुरुवार, दिनांक 27-08-2020		
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
शुक्रवार, दिनांक 28-08-2020		प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
46.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
शुक्रवार, दिनांक 28-08-2020		
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
52.	प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जन. जाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
शनिवार, दिनांक 29-08-2020		
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.
2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.
3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स.से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह-सी विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 25-07-2020 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उसको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.
6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2020

क्रमांक 877/621/2020/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा भारतीय वन सेवा के बैच 2018 के अधिकारियों को On Job Training Course 2018-20 प्राप्त करने हेतु उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए वनमण्डलों में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	प्रशिक्षु अधिकारी का नाम (2)	वृत्त का नाम (3)	जिला (4)	वनमण्डल का नाम (5)
1.	श्री आलोक कुमार बाजपाई	रायपुर	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार
2.	श्री दिनेश कुमार पटेल	कांकेर	कांकेर	कांकेर
3.	श्री शशि कुमार	बिलासपुर	कोरबा	कोरबा
4.	श्री थेजस शेखर	जगदलपुर	जगदलपुर	बस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चंचलानी, अवर सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 मई 2020

क्रमांक एफ 1-06/2019/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में दर्शाए अनुसार तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम व वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्री हिमांशु गुप्ता (भा.पु.से.-1994), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता) पुलिस मुख्यालय, रायपुर.	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता) के कार्यभार से मुक्त करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर.

2. डॉ. आनंद छाबड़ा (भा.पु.से.-2001), पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश पर्यन्त, अस्थाई रूप से, पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 मई 2020

क्रमांक एफ 2-28/2020/गृह-दो/रापुसे.—राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में दर्शाए अनुसार तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम व वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्रीमती दीपमाला कश्यप, (डीडी-2007) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एटीएस, रायपुर.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर.
2.	सुश्री कल्पना वर्मा, परिवीक्षाधीन, उप पुलिस अधीक्षक, रायपुर.	उप पुलिस अधीक्षक, बीजापुर के पद पर की गई पदस्थापना आदेश दिनांक 3/4/2020 में आंशिक संशोधन करते हुए उप पुलिस अधीक्षक, एटीएस रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सुकमा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सुकमा, दिनांक 12 मई 2020

क्रमांक/1069/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सुकमा	छिन्दगढ़	कोडरीपाल प.ह.नं. 20	1.655	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (सेतु निर्माण), जगदलपुर.	उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निर्धारण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सुकमा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 16 मार्च 2020

क्रमांक 91/अ.वि.अ./भू-अर्जन/14 अ/82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-बागबाहरा
(ग) नगर/ग्राम-खेमड़ा, प.ह.नं. 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.77 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
522	0.02
524	0.14
532/1	0.01
2	0.11

(1)	(2)	(1)	(2)
3/7	0.12	192/5	0.07
10	0.02	192/10	0.11
11	0.03	192/15	0.05
13/7	0.03	192/16	0.05
13/2	0.01	192/17	0.06
13/3	0.01	191	0.04
13/5	0.01	190/16	0.04
13/6	0.03	189/2	0.03
21	0.01	190/15	0.01
22/1	0.05	190/17	0.01
22/3	0.02	248	0.05
20	0.05	249	0.01
23	0.05	250	0.01
24	0.01		
48/1	0.04		
54/3	0.01	योग	43
54/1	0.01		1.77
54/2	0.09	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु.	
55/1	0.02	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बागबाहरा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.	
55/3	0.01		
55/4	0.06		
192/3	0.08		
192/6	0.05		
192/8	0.04		
192/4	0.05	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
192/7	0.04	सुनील कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.
मुख्यालय, “बीज भवन”, रविग्राम तेलीबांधा, जी.ई.रोड, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मई 2020

परिपत्र

क्र./मुख्या./बीकृविनि./स्था./2020-21/1767.—छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर का आदेश क्र./एफ 2-4/2017/1-8 दिनांक 26-05-2020 के परिपालन में दिनांक 29-05-2020 को पूर्वान्ह छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. में प्रबंध संचालक के पद पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण कर लिया हूँ.

अनिल कुमार साहू,
प्रबंध संचालक.

छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या.

बी-26, सेक्टर-07, राजेन्द्र नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2020

कार्यभार ग्रहण करने की सूचना

क्रमांक/हा./स्था./2020-21/3460.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर का आदेश क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2 दिनांक 26-05-2020 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर में दिनांक 01-06-2020 को पूर्वान्ह में प्रबंध संचालक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कृपया भविष्य में किये जाने वाले समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय पत्राचार अधोहस्ताक्षर कर्ता के नाम से करने का कष्ट करेंगे।

फोन नं. — 0771-2410744

मो. नं. — 94252-51733

ई-मेल — cghandloom@gmail.com

नीलम नामदेव एक्का,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, छत्तीसगढ़
विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

नवा रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2020

क्रमांक/स्थापना-7/OF-01/P-2/2020/1062.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2017 के परिणाम के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग “मंत्रालय” नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 1-8/2017/15-1, दिनांक 25-01-2020 द्वारा प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार राज्य सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशंसित निम्नलिखित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक दो वर्ष की परिवीक्षावधि पर सहकारिता विभाग अंतर्गत वेतनमान मैट्रिक्स लेबल-7 में सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हुए उन्हें उनके नाम के सम्मुख दर्शाये कॉलम-6 में उल्लेखित जिला में पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पदनाम	अभ्यर्थी का वर्तमान पता	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना स्थान/जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	05	श्री अरविन्द कुमार, सहकारिता विस्तार अधिकारी	पिता-श्री इन्दु सिंह ग्राम-मटिया डोंगरी (बरबसपुर) पोस्ट समनापुर, तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम पिन-491888	विकासखंड बोड़ला, कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कवर्धा (छ.ग.)

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये वचन पत्र के आधार पर अनंतिम रूप से प्रदान की जा रही है। पुलिस सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर जो संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

3. उपरोक्त परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को जब प्रशासन अकादमी रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा जब वे अपनी उपस्थिति कार्यालय/जिले से प्रशासकीय अकादमी निमोरा, रायपुर में दें तथा प्रशिक्षण प्राप्त करें.
4. परिवीक्षाधीन कर्मचारी को परिवीक्षावधि के दौरान विहित प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर से प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार असफल होने पर कर्मचारी को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिये जा सकेंगे.
5. परिवीक्षाधीन कर्मचारी को अपनी परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, जो व्यक्ति उपयुक्त अनुसार विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न हुआ हो अथवा जो सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया हो, की सेवाएं परिवीक्षावधि के अंत में समाप्त की जा सकेंगी. परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षावधि के दौरान भी समाप्त की जा सकेंगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय कर्मचारी बनना संभव न हो.
6. इन कर्मचारियों की परिवीक्षावधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत शासित होगी.
7. उपर्युक्त पदाभिलाषियों की नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.
8. उपर्युक्त पदाभिलाषियों द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक् किया सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.
9. परिवीक्षावधि कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बांड शासन के हित में निष्पादित करना होगा कि वह परिवीक्षावधि को सफलतापूर्वक पार न करने की दशा में परिवीक्षावधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा. बांड का प्रारूप संलग्न है.

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के संबंध में आरक्षण, नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

हिम शिखर गुप्ता,
पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 29 फरवरी 2020

परपोड़ी निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के प्रकाशन की सूचना

क्रमांक 2659/नगानि/2020/नि.क्षे. परपोड़ी/दुर्ग.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि परपोड़ी निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं. जिसकी प्रति कार्यालय, संभागायुक्त संभाग-दुर्ग, कलेक्टर जिला बेमेतरा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) साजा, नगर पंचायत परपोड़ी एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग छ.ग. में दिनांक 04-03-2020 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी

दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. परपोड़ी निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट है :—

अनुसूची

परपोड़ी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में :** ग्राम पथरीखुर्द, भटगांव एवं ग्राम तिरियाभाट की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम तिरियाभाट की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम तिरियाभाट, बंजारपुर, गातापार एवं जानो की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम जानो, कुरलू एवं पथरीखुर्द की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उस पर, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग (छ.ग.) द्वारा विचार किया जाएगा.

निरीक्षण स्थल :

- कार्यालय, नगर पंचायत परपोड़ी जि. बेमेतरा.
- कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कलेक्टोरेट परिसर के पीछे, महावीर नगर दुर्ग छ.ग.

No. 2659/T&CP/2020/Planning Area Parpodi/Durg.—Notice is hereby given that the existing land use map for Parpodi Planning Area has been prepared under sub section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 04-03-2020 during office hours in the office of the Commissioner, Division-Durg, Collector, District Bemetara C.G., Sub-Divisional Officer (Revenue) Saja, Nagar Panchayat Parpodi and Joint Director, Town and Country Planning Durg C.G. The limit of the Parpodi Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Parpodi Planning Area Limits

- NORTH :** Village Patharikhurd, Bhatgaon and up to northern limit of village Tiriabhat.
EAST : Up to eastern limit of village Tiriabhat.
SOUTH : Village Tiriabhat, Banjarpur, Gatapara and up to southern limit of village Jano.
WEST : Village Jano, Kurlu and up to western limit of village Patharikhurd.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use maps and register so prepared it should be sent in writing to the above mentioned places within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the “Chhattisgarh Gazette”.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use maps and register before the period specified above will be considered by the Joint Director Town and Country Planning Durg.

Place of Inspection :

- Office of the Nagar Panchayat Parpodi District Bemetara.
- Office of Joint Director, Town and Country Planning, Behind Collectorate Campus, Mahavir Nagar Durg C.G.

विनीत नायर,
संयुक्त संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 6th May 2020

No. 366/Confdl./2020/II-2-90/2001(Part-III).— Shri Shailendra Chauhan, Member of Higher Judicial Service and presently posted as VII Additional District and Sessions Judge, Bilaspur is transferred and appointed on deputation as Officer-on-Special Duty in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office until further orders. He is also directed to assist the In-charge Registrar (Computerization)-cum-Central Project Co-ordinator, eCourts Mission Mode Project.

Bilaspur, the 11th May 2020

No. 368/Confdl./2020/II-1-4/2018.— It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/01/2020-US.II (i) dated 21st April, 2020 of the Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Parth Prateem Sahu, Hon'ble Shri Justice Gautam Chourdiya and Hon'ble Smt. Justice Rajani Dubey have assumed charge of the office of Judge of the Chhattisgarh High Court in the forenoon of may 11, 2020.

Bilaspur, the 11th May 2020

No. 370/Confdl./2020/II-1-4/2018.— It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/01/2020-US.II (ii) dated 21st April, 2020 of the Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi, whereby, Hon'ble Smt. Justice Vimla Singh Kapoor has been appointed to be an Additional Judge of the Chhattisgarh High Court for a period of one year w.e.f. 18th June, 2020, Hon'ble Smt. Justice Vimla Singh Kapoor took the oath of office of Additional Judge of the Chhattisgarh High Court in the forenoon of May 11, 2020.

Bilaspur, the 12th May 2020

No. 373/Confdl./2020/I-8-2/2010 (Part-III).— The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby, given additional charge of the Labour Court as mentioned in Column No. (3) having Jurisdiction of the areas mentioned in Column No. (4), in addition to his own duties, until further orders :—

TABLE

Sl. No.	Name & presently posted as	Additional Charge	Jurisdiction of the Court
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Sr.), III Additional District & Sessions Judge, Raigarh.	Labour Court, Raigarh	Revenue District Raigarh and Jashpur

Bilaspur, the 20th May 2020

No. 381/Confdl./2020/II-1-4/2017.— Hon'ble Shri Justice Ram Prasanna Sharma, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur has relinquished the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh on 19-05-2020 in the afternoon on the eve of his Lordship attaining the age of 62 years.

Bilaspur, the 29th May 2020

No. 450/Confdl./2020/II-2-1/2020.— (A) Shri Sanjeev Kumar Tamak, III Additional District and Sessions Judge, Bilaspur and seniormost Judicial Officer posted as District Headquarter, Bilaspur is, hereby, temporarily appointed as Officiating District and Sessions Judge, Bilaspur with effect from the date of taking over charge of his duties until the posting of regular District and Sessions Judge, with a direction to discharge the duties of District and Sessions Judge, Bilaspur in Addition to his own duties.

(B.) Shri Ramjivan Dewangan, II Additional District and Sessions Judge, Durg and Seniormost Judicial Officer posted at District Headquarter, Durg is, hereby, temporarily appointed as officiating District and Sessions Judge, Durg with effect from the date of taking over charge of his duties until the posting of regular District and Sessions Judge, with a direction to discharge the duties of District and Sessions judge, Durg in addition to his own duties.

By order of the High Court,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 26 मई 2020

क्रमांक 82/दो-2-4/2009.— श्री अशोक कुमार साहू, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बस्तर स्थान जगदलपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-03-2020 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,

आर. पी. देवांगन,
लेखाधिकारी.